उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5263/62-2-2017-09एम0आई0/2017
लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

श्री सी0के0 चौघरी, अधिशासी अभियंता के विरूद्ध लघु सिंचाई खण्ड, आजमगढ कार्यकाल के दौरान अपने मोबाइल नम्बर 9415123825 द्वारा खबर लहरिया महोबा नामक Whatsapp group में दिनांक 26.02.2017 को प्रात: 08:47 बजे एक राजनैतिक दल विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील किये जाने का आरोप जॉच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाया गया। श्री चौघरी का यह कृत्य सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-5 का उल्लंघन है।

2- अत: उक्त कृत्य हेतु श्री सी0के0 चौधरी, अधिशासी अभियंता को **"प्रतिकूल प्रविष्टि"** प्रदान की जाती है।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5263(1)/62-2-2017,तददिनांक।

प्रतिलिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
2- अधीक्षण अभियंता, लधु सिंचाई वृत्त, गोरखपुर।
3- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0।
4- श्री सी0के0 चौधरी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई की प्रतिकूल प्रविष्टि (2016-17) को चरित्र प्रंजिका में रखे जाने हेतु।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5263-1/62-2-2017-09एम0आई0/2017
लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं0-261/सी0ई0ओ0/शि0प्र0-2017, दिनांक 28.02.2017 द्वारा उपलब्ध कराई गई शिकायत के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-688/62-2-2017-09एम0आई0/2017, दिनांक 03.03.2017 द्वारा श्री सी0 के0 चौधरी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, आजमगढ को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री राजीव कुमार जैन, अधीक्षण अभियंता/स्टाफ आफिसर, (स्थापना) कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया था। जॉच अधिकारी ने अपने पत्र सं0-1501/ल0सिं0/स्था0-कैम्प/जॉच/2016-17, दिनांक 01.05.2017 द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 01.05.2017 की प्रति अपचारी अधिकारी श्री सी0के0 चौधरी, अधिशासी अभियंता को उपलब्ध कराते हुए शासन के पत्र सं0-4005/62-2-2017-09एम0आई0/2017, दिनांक 26.5.2017 द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपचारी अधिकारी श्री सी0के0 चौघरी द्वारा अपना अभ्यावेदन शासन को दिनांक 06.06.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2- श्री सी0के0 चौघरी, अधिशासी अभियंता के विरूद्ध लघु सिंचाई खण्ड, आजमगढ कार्यकाल के दौरान अपने मोबाइल नम्बर 9415123825 द्वारा खबर लहरिया महोगा नामक Whatsapp group में दिनांक 26.02.2017 को प्रात: 08:47 बजे एक राजनैतिक दल विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील किये जाने का आरोप जॉच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाया गया। उनका यह कृत्य सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-5 का उल्लंघन है। इस प्रकार श्री चौघरी सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम-5 के उल्लंघ्न के लिए दोषी है।

2- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं श्री सी0 के0 चौधरी, अधिशासी अभियंता द्वारा जॉच आख्या के आधार पर उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन के सम्यक परीक्षणोपरांत उक्त कृत्य हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-5263/62-2-2017-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

09एम0आई0/2017,दिनांक 05 जुलाई,2017 द्वारा श्री सी0 के0 चौघरी, अधिशासी अभियंता को "प्रतिकूल प्रविष्टि" प्रदान कर दी गयी है।

3- अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर सवेतन बहाल करते हुए श्री सी0के0 चौघरी, अधिशासी अभियंता को रिक्त लघु सिंचाई खण्ड, गोरखपुर में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5263-1(1)/62-2-2017,तददिनांक।

प्रतिलिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, आजमगढ, मण्डल, आजमगढ/गोरखपुर।
4- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ/गोरखपुर।
5- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, गोरखपुर।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।